भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3943 का उत्तर

स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा टीम

3943. श्री एस॰आर॰ पार्थिबनः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे अपने प्रमुख स्टेशनों पर रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की मदद और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु एक विशेष टीम गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर की जगह एक विशेष समर्पित चिकित्सा टीम गठित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और सवारी गाड़ियों में जीवन रक्षक दवाईयां, उपकरणों, ऑक्सीजन सिलिण्डर इत्यादि से सुसज्जित मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं। फ्रंट लाइन कर्मचारी अर्थात गाड़ी टिकट परीक्षक, गाड़ी अधीक्षक, सहायक स्टेशन मास्टर इत्यादि प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए नियमित रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नजदीक के अस्पताल और डॉक्टरों के संपर्क नं. सहित उनकी सूची सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेलवे की एंबुलेंस सेवा, राज्य सरकार/निजी अस्पतालों और एंबुलेंस सेवा मुहैया कराने वाले, घायल, बीमार यात्रियों को अस्पताल/डॉक्टर के क्लिनिक तक ले जाने के लिए उपयोग में लायी जाती है।

*****

Sk